न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 92 / 2021

1 बद्री पुत्र बाल्या।
2 मदनलाल पुत्र सुरजमल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण बुरजा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्योदान पुत्र प्रभूराम जाति अहीर।
2 प्रेमप्रकाश पुत्र नाथूराम जाति अहीर।
3 गोमसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत।
4 जगमाल सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत।
5 नन्द सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत।
6 बजरंग सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत।
7 समुद्र सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत।
8 कैलाश पुत्र सुरजमल जाति जांगिड़।
9 अशोक पुत्र सुरजमल जाति जांगिड़।
10 ओमप्रकाश पुत्र सुरजमल जाति जांगिड़।
11 ग्यारसीलाल पुत्र सुरजमल जाति जांगिड़।
12 हंसा देवी पुत्री सुरजमल जाति जांगिड़।
13 इन्द्राराम पुत्र भूराराम जाति अहीर।
14 कोलाराम पुत्र भूराराम जाति अहीर।
15 रामसिंह पुत्र मूलाराम जाति अहीर।
16 शुम्भूदयाल पुत्र मूलाराम।
17 अर्जुनलाल पुत्र धन्नाराम।
18 रोहिताश पुत्र डालूराम।
19 सीता देवी पुत्री डालूराम।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20 सावित्री देवी पुत्री डालूराम।
21 मूली पत्नी डालूराम।
22 श्रीराम पुत्र हरिराम।
23 मनोज पुत्र हरिराम।
24 कमला देवी पत्नी हरिराम समस्त जाति अहीर निवासीगण बुरजा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25 पटवारी हल्का बुरजा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
26 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए. विरूद्व निर्णय दिनांक 24.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह आर.ए.एस. मुकदमा नम्बर 11/2021 जीसीएमएस नम्बर 2021/59 बउनवानी श्योदान आदि बनाम गोमसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी 1955।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ताराचन्द यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री हीरालाल बुरड़क, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18-8-22

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2021 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बुरजा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 905 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 906 रकबा 1.69 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 2 की माता माली देवी के नाम से 1/2 हिस्सा की खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है तथा माली देवी का स्वर्गवास हो गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमियां अपीलांट संख्या 02 एवं माली देवी के अन्य वारिसान को उतराधिकारी में प्राप्त हुई जिनके मध्य बाहमी बंटवारा होकर खसरा नम्बर 905 व 906 में माली देवी के 1/2 हिस्सा की भूमि अपीलांट संख्या 02 एवं रेस्पोडेंट संख्या 11 के कब्जा में है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 कृषि भूमि खसरा नम्बर 895 लगायत 900 कुल किता 6 कुल रकबा 3.3400 हैक्टेयर में से रेस्पोडेंट संख्या एक 1/4 हिस्से का एवं रेस्पोडेंट संख्या दो 1/16 हिस्से का खातेदार है शेष हिस्सेदारी कैलाश पुत्र नारायण, गोपाल पुत्र नारायण, प्रेमदेवी पत्नी नाथुराम, पवन कुमार पुत्र नाथुराम, भींवाराम पुत्र नारायण, श्योदान, प्रभुराम, सरोज पुत्री नाथूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु उक्त सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी अपीलांट्स को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अवलम्ब लेकर विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.03.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया एवं वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद भी खसरा नम्बर 895 लगायत 900 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 910/2843 की उतरी सीमा से प्रचलित रास्ता के आके भूमि खसरा नम्बर 910,905,906 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 905 की उतरी सीमा खसरा नम्बर 904 के उत्तरी पश्चिमी कोने की सीमा व खसरा नम्बर 902 की पश्चिमी सीमा पर 12 फिट चौडा रास्ता बताकर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

किया। उक्त आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.09.2021 से पूर्व तक जवाब हेतु नियत था परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत पत्रावली को ग्राम पंचायत बुरजा की ढ़ाणी में आयोजित शिविर में ले जाकर दिनांक 24.11.2021 को आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर धारा 251ए के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी रेस्पोडेंट का आवेदन धारा 251ए की परिधि में नही आता है। रेस्पोडेंट का आवेदन प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य था। रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन के पैरा संख्या 02 मौके पर रास्ता चालु बताया है ऐसी स्थिति में आवेदन धारा 251ए की परिधि का नही होकर धारा 131–132 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आता है। विचारण न्यायालय में इस तथ्य पर गौर नही कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामीली प्रकिया अपनाये बिना, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण को प्रशासन गांवो के संग शिविर में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की आपत्ति पर कोई निर्णय पारित नही किया गया है, न ही अपीलांट की बहस सुनी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 40, डी.एन.जे. 2021(2) पेज 801,डी.एन.जे. 2021(2) पेज 1449, डी.एन.जे. 2021(2) पेज 763, डी.एन.जे. 2021(2) पेज 1270, डी.एन.जे. 2021(1) पेज 681, आर. आर.टी. 2021(1) पेज 533 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में संक्षिप्त विचारण किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर प्रदान किया गया है। मौका प्रस्ताव से पूर्व

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को लिखित में सुचित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2021 को विचाराधीन प्रकरण 08.07.2021 में नियत कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता नही होने पर विधिक प्रकिया की पालना कर मौका रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में रास्ते के लिये दी गई भूमि के 80 प्रतिशत से अधिक खातेदारो ने सहमती दर्शाते हुये प्रति कर राशि प्राप्त कर ली है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में संक्षिप्त विचारण किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। अप्रार्थीगण को जवाब का अवसर प्रदान किया गया है। मौका प्रस्ताव से पूर्व तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों को लिखित में सुचित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2021 को विचाराधीन प्रकरण 08.07.2021 में नियत कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी वैकल्पिक रास्ता नही होने एवं रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने का तथ्य अंकित है। विचारण न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता नही होने पर विधिक प्रकिया की पालना कर मौका रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/9/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर